

**RAJASTHAN RAJYA TILHAN UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.
(TILAM SANGH) FATEHNAGAR PROJECT**

GRAM - VASNI KALLAN, TEH-MAVLI, DISTT-UDAIPUR (RAJ.) - 313205

Ph. 02955-220080, 220480, FAX 02955-220480 Email : tsrfnr@gmail.com

निविदा फार्म - 2025-2026

खाद्य तेल टिन 15 किग्रा./लीटर तथा कार्टून पैक को विभिन्न डिपो/परियोजनाओ/थोक भण्डार तक परिवहन कार्य

निविदा फार्म दिये जाने की दिनांक	:	23.09.2025, Time 12:00 Noon
निविदा स्वीकार किये जाने की दिनांक	:	23.09.2025, Time 02:00 PM
निविदा खोलने का दिनांक	:	23.09.2025, Time 03:00 PM

1. निविदादाता का नाम :-

- A. यदि निविदादाता एकाकी स्वामी (सोल प्रोपराइटर) है तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित)
- B. यदि निविदादाता भागीदारी संस्था (पार्टनरशिप फर्म) है तो
- अ. फर्म का नाम
- ब. रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम व संख्या
- स. भागीदार के नाम, पते व उनकी अंश मात्रा
- द. संस्था का आयकर स्थायी खाता संख्या

2. स्थानीय पता

- अ. डाक का पूरा पता
- ब. मोबाइल नं. (नाम सहित)

3. निविदादाता के बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम (पिछले छः माह का बैंक विवरण पत्र संलग्न करें)

5. निविदादाता का आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. अचल सम्पत्ति का विवरण (स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित)

7. शुल्क :

अ. निविदा शुल्क राशि रुपये 300/- रसीद नं. दिनांक की छायाप्रति संलग्न करें।

ब. EMD (धरोहर राशि) राशि रु. 12000/- का डीडी/पे-ऑर्डर नं. दिनांक संलग्न करें।

आवश्यक निर्देश :- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (अन्य प्रपत्र सहित) अलग-अलग सील बंद लिफाफो में जमा कराना होगा । उपरोक्त सील बंद लिफाफो पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से लिखना होगा ।

निविदा प्रपत्र व दस्तावेज भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. निविदादाता को समस्त सम्बन्धित दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को, जो उनकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, की हस्ताक्षरित प्रतियों की कॉपी टेण्डर के रूप में संलग्न करनी होगी।
2. निविदादाता द्वारा खाद्य तेल परिवहन हेतु जमा करायी जाने वाली EMD राशि का विवरण शर्तों में अंकित है।
3. निविदा आंकलन :- किसी भी निविदादाता का आंकलन निर्धारित स्थानों पर तेल डिस्पेच प्रति मी.टन में न्यूनतम स्थान पर रहे (दरों अनुसार) के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार न्यूनतम निविदादाता से नेगोसिएशन किया जाकर अन्य स्लेबों में प्राप्त हुई अन्य निविदादाताओं की न्यूनतम दरों अनुसार कार्यादेश दिया जावेगा।
4. टेण्डर फार्म तथा हस्तलिखित दरें टेण्डर बॉक्स में स्वीकार की जायेगी।
5. कृपया टेण्डर भरने से पूर्व समस्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें।
6. किसी भी जानकारी हेतु 02955-220480, 220080 पर सम्पर्क करें।

तकनीकी निविदा भरने हेतु चैक लिस्ट

तकनीकी निविदा में सफल होने हेतु निम्नानुसार दस्तावेजों की प्रतियां टेण्डर भरते समय संलग्न की जानी अति आवश्यक है, जिनके अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

1. Fees

- a) Tender Participation हेतु 300/- का डीडी/पे-ऑर्डर/केश जिसे परियोजना में निर्धारित समय में जमा कराया जाना है। (तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना, फतहनगर पर देय)
- b) जमा करायी जाने वाली EMD राशि का विवरण शर्तों में अंकित समुचित राशि का डीडी/पे-ऑर्डर, जिसे परियोजना में निर्धारित समय में जमा कराया जाना है। (तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना, फतहनगर पर देय)

2. टेण्डर निविदा प्रपत्र में संलग्न राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत Annexure-B अनुसार निविदादाता द्वारा जारी Declaration by the Bidder प्रपत्र।

3. पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति।

4. निविदा प्रपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों को पढ़ने व समझने पश्चात् उनकी सहमति हेतु दिये जाने वाला प्रपत्र (परिशिष्ट-E)

5. परिवहनकर्ता द्वारा पंजीकृत ट्रक/ट्रोलो बीमित एवं अच्छी हालत में परियोजना में परिवहन कार्य हेतु उपयोग में लेने होंगे। किन्तु कोई भी टिन/कार्टून किसी भी प्रकार से डेमेज होता है अथवा विक्रय योग्य नहीं रहता है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता के बिलों से की जावेगी। परिवहनकर्ता के स्वयं/पत्नी/पुत्र (जो स्वयं के स्वामित्व में हो) के नाम एक या एक से अधिक ट्रक/ट्रोलो होना आवश्यक है। परिवहनकर्ता इन ट्रक/ट्रोलों की स्वयं द्वारा प्रमाणित आर.सी. की छायाप्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

6. आवश्यक प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र में दर्शाये अनुसार संलग्न करें।

7. परिवहनकर्ता को कार्यादेश प्राप्त करने से एक माह की अवधि में आवश्यक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बिलों का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत

Annexure B :

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
in response to their Notice Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7
of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला सहमति एवं घोषणा प्रपत्र

मेरे/हमारे द्वारा तिलम् संघ द्वारा विभिन्न डिपो/परियोजनाओं/थोक भण्डार तक तेल (15 किलां टिन, काटून पैक में) परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त दिशा-निर्देशों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों की पूर्ति की जा चुकी है व जिसकी प्रति हमारे द्वारा टेक्नीकल बिड में संलग्न की जा चुकी है। सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति हमारे द्वारा सफल निविदादाता घोषित होने पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

ईश्वर सत्य बोलने में मेरी/हमारी मदद करें।

दिनांक :

स्थान :

मोबाईल नं.

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पता :

.....

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

परिवहन निविदा प्रपत्र

फतहनगर परियोजना से विभिन्न डिपो/अन्य परियोजना/थोक भण्डार तक पैकिंग किया हुआ
खाद्य तैल टिन 15 कि.ग्रा./लीटर तथा जार/बोतल/पाऊच (कार्टून में) परिवहन करने की दरें

क्र.स.	गन्तव्य स्थान	फतहनगर से अनुमानित दूरी	परिवहन दर (समस्त करों सहित) प्रति मी.टन टिन/कार्टून				
			100 टिन	200 टिन	300 टिन	min. 12 MT(Gross)	min. 18 MT (Gross)
01.	उदयपुर डिपो	50 कि.मी.					
02.	चित्तौड़गढ़ डिपो	70 कि.मी.					
03.	भीलवाड़ा डिपो	120 कि.मी.					
04.	कोटा परियोजना/डिपो	245 कि.मी.					
05.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	67 कि.मी.					
06.	जयपुर डिपो	400 कि.मी.					
07.	राजसमन्द	55 कि.मी.					
08.	जोधपुर	245 कि.मी.					
09.	ब्यावर	180 कि.मी.					
10.	बांसवाड़ा	180 कि.मी.					
11.	डूंगरपुर	155 कि.मी.					
12.	प्रतापगढ़	150 कि.मी.					
13.	बीकानेर	500 कि.मी.					
14.	श्री गंगानगर	730 कि.मी.					
15.	निम्बाहेड़ा	58 कि.मी.					
16.	अजमेर	240 कि.मी.					

नोट :

1. प्रत्येक ट्रक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग/आर.टी.ओ. से स्वीकृत वजन का ही लोड लिया जावेगा । यदि परिवहन के दौरान परिवहन कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की शास्ति आदि इम्पोज किया जाता है तो शास्ति व अन्य राशि परियोजना द्वारा परिवहनकर्ता के बिल अथवा सिक्वोरिटी राशि में से वसूली कर ली जावेगी ।
2. परिवहन दरें प्रति मी.टन उपरोक्त प्रारूप में दिये तरीके से ही भरे तथा अलग से कोई शर्त ना जोड़े अन्यथा आपकी दरें मान्य नहीं होगी ।
3. परियोजना द्वारा सामान्यतया तीन की ऊँचाई में टिन/कार्टून परिवहनकर्ता को परिवहन हेतु सौपे जायेगें, परन्तु परिवहनकर्ता को डिपो/केन्द्र की आवश्यकतानुसार ट्रक/ट्रोले की कंडीशन संतोषजनक होने पर अधिकतम चार की ऊँचाई में टिन/कार्टून परिवहन हेतु दिये जा सकेंगें ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर -

निविदादाता मय मुहर

नाम :

पता :

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना
सामान्य शर्तें (शर्तें एवं निर्देश)

1. निविदा प्रपत्र पार्टी को अपने स्वयं के नाम एवं पते से खरीदना आवश्यक है क्योंकि यह प्रपत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है ।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तों के अनुसार देखभाल कर भरे क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है ।
3. निविदा प्रपत्र स्वच्छ रूप से बिना कांट छांट के भरा होना चाहिये । किसी भी प्रकार की कटिंग (ओवरराइटिंग) पर पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है ।
4. निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में व्यक्तिगत तौर पर निश्चित समयानुसार निविदा पात्र में डालना चाहिये अथवा परियोजना के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी निविदायें भेजी जा सकती हैं, परन्तु किसी प्रकार के विलम्ब के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा । लिफाफे के उपर " खाद्य तेल परिवहन कार्य हेतु निविदा " लिखा होना आवश्यक है ।
5. निविदा के साथ रु. 12000/- का डी.डी. धरोहर राशि के रूप में तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना के नाम फतहनगर की किसी बैंक में देय डी.डी. द्वारा संलग्न करना आवश्यक है । बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । चेक द्वारा धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जावेगी ।
6. धरोहर राशि एवं अमानत राशि पर परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि सुरक्षा राशि में परिवर्तित समझी जावेगी एवं शेष असफल निविदादाओं को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त धरोहर राशि बैंक द्वारा वापिस लौटा दी जावेगी ।
7. सफल निविदादाता को फतहनगर परियोजना के साथ Rs. 100/- Non Judicial Stamp Paper पर इकरारनामा करना होगा जिसमें सभी शर्तें निहित होगी एवं जो दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगी ।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित परियोजना/केन्द्र के जिले की न्यायालय में ही रहेगा ।

महाप्रबन्धक

उपरोक्त शर्तों में अथवा इकरारनामों की शर्तों में आवश्यकतानुसार परियोजना प्रबन्धन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । निविदाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महाप्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

— खाद्य तेल परिवहन की विशेष शर्तें —

1. दरें तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना से निर्धारित गन्तव्य स्थान तक संलग्न निश्चित प्रारूप व तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिये। दी गई दरों के अतिरिक्त और कोई खर्च अलग से देय नहीं होगा। प्रारूपित तरीके के अलावा किसी अपने स्वयं के तरीके से भरी दरें अस्वीकार की जा सकती है।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं प्रपत्र में दी गयी सूचना अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
3. निविदादाता को भुगतान हेतु परियोजना कार्यालय में इनवॉइस (बिल) देनी होगी। जिस पर पैन् नं., जीएसटी नं., पता एवं मोबाईल नं./टेलिफोन नं. इत्यादि अंकित हो।
4. वितीय निविदा सिर्फ उन्ही निविदादाताओं की खोली जा सकेगी, जो तकनीकी निविदा में सफल पाये जाते हैं तथा निर्धारित शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर समय पर इस कार्यालय में जमा करा दिये हैं।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त शर्तें मान्य होगी तथा निविदादाता द्वारा रखी गई/जोड़ी गई कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
6. निविदा में दी गयी दरें निविदा दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी और निविदादाता के लिए बंधनकारी होगी, किसी विशेष परिस्थिति में परियोजना प्रबन्धन एवं निविदादाता की आपसी सहमति से कार्यादेश घटाया-बढ़ाया जा सकता है।
7. ट्रक चाहने हेतु परियोजना द्वारा मौखिक रूप से अथवा दूरभाष पर 12 घंटे पूर्व सूचित किया जा सकेगा। ट्रकों की आवश्यकता हेतु समय समय पर निर्देश प्राप्त करना परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। एक दिन में 5 ट्रक तक मांगे जा सकते हैं।
8. निर्देशानुसार निर्धारित मात्रा में ट्रक उपलब्ध नहीं करवाने पर 1000/- प्रति ट्रक जो ट्रक उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं की पेनल्टी लगायी जा सकती है/अथवा अन्य किसी एजेन्सी से ट्रक उपलब्ध कर अन्तर की राशि परिवहनकर्ता को डेबिट कर दी जावेगी।
9. परिवहनकर्ता को परिवहन किये गये माल का भुगतान शुद्ध वजन प्रति टन के हिसाब से किया जावेगा। जिसमें पैकिंग जैसे कार्टून, खाली टिन एवं डनेज या अन्य सामग्री का वजन शामिल नहीं है, इसके लिए अलग से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
10. परिवहनकर्ता को कार्यादेश अवधि में निविदा में दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा। निविदा में दी गयी दरों में किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव परियोजना प्रबन्धन को मान्य नहीं होगा।
11. परियोजना में भरने आये ट्रक जहाँ तक सम्भव हो, उसी दिन भर दिये जायेंगे। परन्तु किसी कारणवश विलम्ब होने पर कोई हाल्टेज या डेमेरेज चार्ज नहीं दिया जावेगा।
12. सफल निविदादाता की जमा धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर लिया जावेगा व इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
13. डिपो पर माल अनलोडिंग कर पहुंच पर डिपो प्रभारी के हस्ताक्षर मय सील होने पर परिवहन बिल पारित किया जावेगा।
14. तिलम् संघ, फतहनगर परियोजना को आवश्यकतानुसार परिवहनकर्ता की अचल सम्पत्ति से वसूली की कार्यवाही कर बकाया राशि वसूली का पूर्ण अधिकार होगा।
15. सभी ट्रक चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स एवं लदान हेतु लगाये गए प्रत्येक ट्रक के पास वैध परमिट होना आवश्यक है।
16. प्रत्येक ट्रक के साथ लदान की गयी सामग्री की सुरक्षा हेतु एवं टूट फूट से बचाने हेतु त्रिपाल आदि का प्रबन्ध होना आवश्यक है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
17. परिवहनकर्ता द्वारा गन्तव्य स्थान पर माल पहुंचाने की सम्पूर्ण सूचना ट्रक पहुंचने के तीन दिवस के अन्दर परियोजना को देनी चाहियें।
18. ट्रक लोडिंग एवं अनलोडिंग की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की नहीं होगी परन्तु गन्तव्य स्थान पर किसी प्रकार के विलम्ब के लिए परियोजना की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. परियोजना प्रबन्धन द्वारा कार्य आदेश की अवधि एवं परिवहन की जाने वाली मात्रा आवश्यकतानुसार घटत अथवा बढ़त की जा सकती है जो निविदादाता के लिए बन्धनकारी होगी।
20. ट्रक के साथ जाने वाले समस्त दस्तावेज प्रोजेक्ट से ट्रक के जाने से पूर्व प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं परिवहनकर्ता की होगी। किसी भी प्रकार के कागजों की कमी की वजह से ट्रक बार्डर पर, चुंगी पर अथवा अन्य नाकों पर रुक जाने के लिए परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
21. समस्त गन्तव्य स्थान की सूची एवं फतहनगर परियोजना से उनकी दूरी, दरें प्रस्तुत करने के प्रारूप में दी गयी है। इन स्थानों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार और भी गन्तव्य स्थान हो सकते हैं जिनके भाड़े की दरें आपसी सामंजस्य एवं बातचीत के उपरान्त निश्चित की जावेगी जिसका आंकलन प्रोजेक्ट से उस गन्तव्य स्थान की दूरी के अनुसार एवं उस समय बाजार में प्रचलित दर के अनुरूप किया जावेगा।
22. अलग अलग गन्तव्य स्थानों पर भेजी जाने वाली मात्रा का आंकलन करना अभी संभव नहीं है मात्रा का विवरण समय समय पर मांग के अनुसार दिये जाने वाले निर्देशों द्वारा बताया जावेगा।
23. कार्य अवधि के दौरान किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर न्याय क्षेत्र मावली, जिला- उदयपुर होगा।
24. भुगतान से संबंधित शर्तें :-
 - ❖ परिवहन किये गये माल का किराया ट्रकों की वास्तविक संख्या के अनुसार गन्तव्य स्थान से पहुंच प्राप्त होने पर एवं उन ट्रकों की बिल्टी/बिल के अनुसार परियोजना द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप दिया जावेगा। यह भुगतान बिल्टी/बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के अन्दर किया जाना संभव होगा परन्तु इसमें विलम्ब भी हो सकता है। अतः ध्यान रहे बिल देने से ही कार्य के पेमेन्ट का कोई क्लेम नहीं बनता है।
 - ❖ परिवहनकर्ता को भुगतान करते समय लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कटौती जैसे TDS एवं GST इत्यादि की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
 - ❖ परिवहन किये गये माल के भाड़े का भुगतान हेतु दो प्रतियों में बिल के साथ दो प्रतियों में ही प्रपत्र देना आवश्यक है।

25. परियोजना का यह प्रयास रहेगा कि कालावधि में सम्पूर्ण कार्य एक ही परिवहनकर्ता से करवाया जावे जिससे कार्य में सुविधा रहे । परियोजना टेंडर कमेटी द्वारा औसत दरों के आधार पर अथवा और किसी प्रकार के परियोजना हित में, वार्तालाप (नेगोशियशन) से एक ही पार्टी को सम्पूर्ण कार्य आवंटित करने का प्रयास कमेटी द्वारा तय तरीके से किया जावेगा । ऐसा नहीं होने पर कार्य को दो या इससे अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं में बांटा जाता है तो उस स्थिति में धरोहर राशि के अतिरिक्त Rs. 1.00 लाख बैंकगारन्टी/सुरक्षा राशि प्रत्येक सफल निविदादाता को पृथक से जमा करानी होगी। पूर्ण अथवा आंशिक कार्य आवंटित किये जाने पर नियमानुसार सुरक्षा राशि जमा नहीं होने पर निविदादाता द्वारा जमा धरोहर राशि बिना पूर्व सूचना के जब्त कर ली जावेगी व कार्य आदेश निरस्त समझा जावेगा ।
26. निविदा स्वीकार होने पर 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की बैंकगारन्टी/सुरक्षा राशि परियोजना के पास निर्धारित अवधि के लिये जमा करानी होगी। उक्त सिक्क्योरिटी राशि कार्य आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर की अवधि में देना/जमा कराना आवश्यक होगा। अन्यथा धरोहर राशि जब्त करने एवं निविदा निरस्त करने का अधिकार परियोजना को होगा। उक्त जमा राशि पर परियोजना द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता को धरोहर राशि परियोजना द्वारा कार्य-अवधि समाप्ति के पश्चात् लौटाई जाएगी।
27. निविदादाता को पार्टनरशिप फर्म होने पर रजिस्ट्रेशन आदि की सत्य प्रतिलिपि एवं पार्टनरशिप सूची निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहन कार्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति को दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी स्वीकार नहीं की जावेगी तथा परियोजना को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अनुबन्ध को समाप्त कर दे, इसमें हुई क्षति/हानि के लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। परिवहनकर्ता परिवहन कार्य को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
28. परियोजना परिसर में परिवहनकर्ता के ट्रक अथवा कर्मचारी से किसी प्रकार का नुकसान होने पर हानि की निर्धारित राशि काटी जावेगी।
29. परिवहनकर्ता द्वारा ट्रक ऑपरेटर की निगरानी/देखरेख में ट्रक में Tins/Cartoon को जमाना/व्यवस्थित करना होगा। परिवहन के दौरान दुर्घटना के अलावा 5 किलो से ज्यादा की शोर्टेज आने पर परिवहनकर्ता से पूरी शोर्टेज की वसूली परियोजना द्वारा वसूल की जावेगी।
30. परियोजना/डिपो पर सांय 3 बजे के पश्चात् व अवकाश के दिन पहुंचने वाले ट्रकों को खाली करवाने का कार्य अगले कार्य दिवस/नो एन्ट्री के पश्चात् किया जावेगा तथा खाली न होने की दशा में परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का हॉल्टिंग चार्ज परियोजना/डिपो द्वारा देय नहीं होगा।
31. परिवहन का कार्य संतोषप्रद नहीं होने, परिवहन कार्य विलम्ब से करने, परियोजना के हितों को निष्ठा से ध्यान में न रखने, परिवहन के दौरान स्कन्ध पहुंचाने या उल्लेखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में परियोजना को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह परिवहनकर्ता का कार्यदेश बिना पूर्व नोटिस दिये रद्द कर दे तथा परिवहन का कार्य अन्य व्यक्ति/परिवहनकर्ता से करा ले तथा परिवहनकर्ता की जमा धरोहर राशि, सिक्क्योरिटी राशि व बैंक गारन्टी जब्त कर ले या परिवहन कार्य उसके हर्जे खर्चे से करा ले। इस प्रकार कार्यदेश/इकरारनामे के रद्द करने से परिवहनकर्ता को हुई किसी भी प्रकार की क्षति/हानि के लिये परियोजना जिम्मेदार नहीं होगी।
32. परिवहन की शर्त अथवा अन्य किसी मामले में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में या किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार परियोजना के महाप्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।
33. परिवहनकर्ता को आवश्यकतानुसार एक से अधिक केन्द्रों पर माल अनलोड करना पड़ सकता है।
34. कार्यदेश व टेण्डर में वर्णित अवधि नियमानुसार आगे बढ़ायी जा सकती है।
35. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यदेश जारी होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को वापसी में स्वीकृती के रूप में एक प्रति डुप्लीकेट में हस्ताक्षरित परियोजना को भिजवानी होगी।

उपरोक्त शर्तों में अथवा इकरारनामों की शर्तों में आवश्यकतानुसार परियोजना प्रबन्धन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। निविदाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महाप्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर -

निविदादाता मय मुहर

नाम :

पता :

दूरभाष नं०:

100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर टाईप कराकर प्रस्तुत करें

—: इकरारनामा :—

मैं प्रोपराईटर/साझेदार मैसर्स

(फर्म का नाम व पत्र व्यवहार का पता)

ने तिलम् संघ द्वारा परियोजना डिपो/परियोजनाओं/थोक भण्डार तक तेल टिन/कार्टून परिवहन के लिये दिनांक को जारी कार्यादेश अनुसार कार्य करने को राजी हैं। मेरे/हमारे द्वारा कार्यादेश तथा निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों का मैंने /हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा सभी शर्त मुझे /हमें मान्य है। मैं/हम तिलम् संघ द्वारा आवंटित कार्यादेश अनुरूप व निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार तिलम् संघ में कार्य पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से करने को तैयार हैं। यदि मैं/हम कार्य करने में विफल रहता हूँ / रहते हैं तो तिलम् संघ प्रबन्धन को मेरी/हमारी जमा सुरक्षा राशि/अचल सम्पत्ति तथा अन्य किसी भी प्रकार की देय राशि से तिलम् संघ को हुए नुकसान का हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

गवाह

हस्ताक्षर निविदादाता

1

नाम

2

पता

दिनांक